28/11/24

पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद का निस्तारण होने से इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने के कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार शामिल मिसल हो व दर्ज रजिस्टर से कम हो।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 11:55:31 IST
Reason: SelfAttested